

17.03.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिखाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हजिरी' में इसी स्तर पर रवारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दारिफ़ल दफ़तर हो व नंबर से कम हो।

07/03/25

सहायक कलेक्टर
(S.D.O), जाड़मेर

